

‘जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए सरकार को’

सेना का यह मत है, जिससे भारत की सरकार को अवगत कराया गया है

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 5 मई। पहलागम के घातक आतंकी हमले को दो सप्ताह हो गये। इस दौरान, देश की जनता का आक्रोश जहाँ दिनों-दिन बढ़ रहा है, वहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं तथा केन्द्र सरकार ने जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेने का फैसला किया है। बताया जाता है कि इसके बजाय, वे कश्मीर में आतंकवाद को प्रेरित-पोषित करने में पाकिस्तान की कथित लिप्तता से निवटने के लिए एक व्यापक और दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस हमले, जिसमें देशभर के कई निर्दोष पड़कित मारे गये, के बाद मोदी सरकार पर बदला लेने के लिए दबाव बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया, टेलिविजन की बहसें तथा राजनैतिक विपक्ष, बार-बार एक ही बात कह रहे हैं-जल्दी और निर्णायक कार्यवाही करो। तथापि, उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार, सरकार सभी विकल्पों का आकलन बड़ी सावधानी के साथ कर रही है तथा वह पूरी और सुस्पष्ट योजना के बिना कोई सीधी सैन्य कार्यवाही करने की जल्दबाजी में नहीं है। पिछले पूरे पखवाड़े में, शीर्ष-

- हालांकि, सोशल मीडिया, टेलिविज़न बहस व विपक्ष का पूरा दबाव है कि भारत को जल्दी ही मजबूती से पहलगांव के बदले की कार्यवाही करनी चाहिए।
- भारतीय थल, वायु व नौसेना अध्यक्ष इस बात पर लगभग एक मत हैं, भारत की कोई भी बदले की सैन्य कार्यवाही एक दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा होनी चाहिए, केवल जल्दबाजी में बदले की भावना से कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।
- रिटायर्ड ले. जनरल, सर्वजीत सिंह दिल्ली का इस बारे में कहना है, कि, आक्रमण कब और कैसे करने का निर्णय, भावना या दबाव में नहीं लेना चाहिए।

स्तरीय सुरक्षा मीटिंग हुई। बताया जाता है कि थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तथा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सी सी एस) को संभावित सैन्य एवं रणनीतिक विकल्पों के बारे में जानकारी दे दी है। इन चर्चाओं के जानकारी सूत्रों का कहना है कि सैन्य नेतृत्व में इस बात, पर व्यापक सहमति है कि कोई भी कार्यवाही, तालाकालिक एवं अल्पकालीन बदले के बजाय, किसी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा होनी चाहिए।

एक वरिष्ठ रक्षा-अधिकारी ने, उसका नाम न बताये जाने के अनुरोध के साथ, बताया, “यह तीनों सेनाओं का सर्वसम्मत विचार है कि आतंकी इन्फ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने तथा गहरी जड़ें जमा चुके विद्रोही नेटवर्क, जो कथित रूप से पाकिस्तानी सेना तथा उसकी खुफिया एजेंसी आई एस आई द्वारा रचित एवं नियंत्रित है, को प्रभावहीन करने के लिए स्थायी एवं दीर्घकालिक प्रयासों की जरूरत है, सिर्फ एक एक्शन की नहीं।” इन्हीं विचारों को दोहराते हुए, पुराने युद्ध-विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल

(सेवानिवृत्त) सरबजीत सिंह दिल्ली जोर देते हुए कहा कि सैन्य कार्यवाही समयबद्धता एवं राजनैतिक अत्यावश्यकता से निर्देशित नहीं हो सकती। दिल्ली ने कहा, “जमीनी हकीकत के आकलन का काम सशस्त्र सेनाएं करती हैं तथा कोई भी मिशन शुरू करने से पहले, सेनाएं सभी भू-रणनीतिक तत्वों, भू भाग (टेरेन) तथा सम्पूर्ण सैन्य भूमिका को ध्यान में रखती हैं, उन पर विचार करती हैं। -- हमले का आव्हान भावना या दबाव से निर्देशित एवं नियंत्रित नहीं हो सकता।”

रविवार को पत्रकारों से बात करते समय, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह इसी विचार के समर्थन में दिखाई दिया। सिंह ने कहा, “सरकार सभी विकल्पों को खंगाल रही है। हम भारत की जनता की भावनाओं से पूरी तरह परिचित हैं। राष्ट्र हमारे बहादुर सैनिकों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन इसके साथ ही, हम कोई भी कार्यवाही इस तरह करेंगे कि वह रणनीतिक तथा प्रभावी हो।” भारतीय नेतृत्व की यह सजग, किन्तु दृढ़ सोच भाववेशपूर्ण कार्यवाही की बजाय, दीर्घकालिक रोग निवारण को प्राथमिक देने का संकेत देती दिखाई दे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एस.आई.भर्ती : 15 तक सरकार निर्णय ले, वरना कोर्ट तय करेगी

जयपुर, 5 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में भर्ती के अस्तित्व को लेकर राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए अंतिम मौका देते हुए मामले की सुनवाई 15 मई को रखी है। अदालत ने कहा कि यदि राज्य सरकार ने कोई फैसला नहीं दिया तो अदालत पक्षकारों को सुनकर अपने स्तर पर निर्णय देगी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की

- जस्टिस समीर जैन ने पेपर लीक से हुई भर्ती पर राज्य सरकार को रूख स्पष्ट करने का अन्तिम मौका दिया।

ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि भर्ती पर निर्णय करने के संबंध में किन्हीं कारणों से मीटिंग नहीं हो पाई है। अब सब कमेटी की यह मीटिंग 13 मई को होनी है। ऐसे में राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए समय दिया जाए वहीं ईडी की ओर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘राजनीतिक आधार पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए’

जयपुर, 5 मई। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता और सरकारी वकील सहित लोक अभियोजकों की नियुक्ति में योग्यता की अनदेखी कर उनकी राजनीतिक आधार पर नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने पूनम चंद भंडारी की जनहित याचिका पर राज्य सरकार को इस मुद्दे पर पूर्व में निस्तारित अन्य याचिका में दिए आदेशों

- हाईकोर्ट में पेश जनहित याचिका में पूर्व में दिये गये आदेशों की प्रति पेश करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिये गये।

की कॉपी पेश करने को कहा है। जनहित याचिका में अधिवक्ता टीएस शर्मा ने कहा कि बीते कई सालों से राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट सहित अन्य अदालतों में सरकार का पक्ष रखने के लिए राजनीतिक विचारधारा वाले वकीलों को नियुक्त किया जाता है। इनमें से कई वकील ऐसे नियुक्ति हो जाते हैं, जो वास्तव में उस पद के योग्य ही नहीं होते हैं। जिसके चलते न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। हाईकोर्ट पूर्व में इस संबंध में गंभीर टिप्पणी भी कर चुका है। याचिका में कहा गया कि यदि वकीलों की नियुक्ति उनकी योग्यता को ध्यान में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्य भंडारण निगम ने श्री शुभम लॉजिस्टिक और सहायक कंपनी के खिलाफ चल रहे मामले में “सोल आरबिट्रेटर” को हटाने की याचिका दायर की

राज्य भंडारण निगम का इन दोनों कंपनियों के खिलाफ 202 करोड़ रुपये के दावे का मामला “आरबिट्रेशन” में है

- यादवेंद्र शर्मा -

जयपुर, 5 मई। राजस्थान राज्य भण्डारण निगम ने श्री शुभम लॉजिस्टिक और उसकी सहायक कम्पनी ओरिगो कर्मांडिटोज़ इण्डिया के विरुद्ध चल रहे “आरबिट्रेशन”, यानि मध्यस्थता के मामले में, नियुक्त “सोल आरबिट्रेटर” (मध्यस्थता करने के लिए नियुक्त एक मात्र अधिकारी) सेवानिवृत्त पूर्व न्यायाधीश के.एस. राठौड़ को हटाने और किसी अन्य रिटायर्ड जज या कानून के विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए वाणिज्यिक कोर्ट में याचिका दायर की है। राजस्थान राज्य भण्डारण निगम ने अपनी याचिका में कहा है कि के.एस. राठौड़ श्री शुभम लॉजिस्टिक और ओरिगो कर्मांडिटोज़ इण्डिया बनाम राज्य भण्डारण निगम के बीच चल रहे सात विवादों में “सोल आरबिट्रेटर”

- सोल आरबिट्रेटर को हटाने के मामले में दायर याचिका में राज्य भंडारण निगम का कहना है कि सेवा निवृत्त पूर्व न्यायाधीश के.एस.सिंह को एक ही वर्ष में, एक ही मामले से जुड़ी पार्टियों के बीच सात मामलों में “सोल आरबिट्रेटर” नियुक्त किया गया।
- जबकि नीति यह है कि दो कंपनियों या दो व्यक्तियों के बीच चल रहे सिर्फ दो मामलों में ही एक व्यक्ति विशेष को सोल आरबिट्रेटर बनाया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि के.एस. राठौड़ ने मध्यस्थता के लिए नियुक्त होने से पूर्व दिये गये “डक्लेरेशन” (कानूनी घोषणा) में भी इस तथ्य को उजागर नहीं किया।

नियुक्त किये जा चुके हैं, जबकि नीति और नियम कहता है कि एक व्यक्ति विशेष को दो कंपनियों या व्यक्तियों के बीच चल रहे सिर्फ “दो” मामलों में ही

सोल आरबिट्रेटर नियुक्त किया जा सकता है।

भण्डारण निगम का कहना है कि नीति और नियम के विरुद्ध नियुक्त किये

गये “सोल आरबिट्रेटर” को हटाने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला दिया है, और यह फैसला मध्यस्थता कर रहे व्यक्ति विशेष की योग्यता और इसकी प्रक्रिया व संचालन निष्पक्ष रखने की दृष्टि से दिया गया है।

जैसा कि विदित है कि पिछली गहलोट सरकार के कार्यकाल के दौरान राजस्थान राज्य भण्डारण निगम और श्री शुभम लॉजिस्टिक तथा उसकी सहायक कम्पनी ओरिगो कर्मांडिटोज़ इण्डिया के बीच कृषि उपज के भण्डारण के संबंध में हुए अनुबंधन को लेकर भारी भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पिछले एक वर्ष से खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। इस मामले में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजन लाल को शिकायती पत्र (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रदेश में लू से निपटने का एक्शन प्लान दें

जयपुर, 5 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश में लू के हालातों से निपटने के लिए बनाए गए एक्शन प्लान की जानकारी देने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में केन्द्र सरकार सहित अन्य से जवाब पेश करने को कहा है। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश

- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक्शन प्लान की जानकारी देने को कहा।

प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। वहीं अदालत ने समान बिंदु पर एकलपीठ की ओर से गत दिनों लिए प्रसंज्ञान को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि जब मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर मामला खंडपीठ में सुनवाई के लिए भेजा गया है तो उस विषय पर पुनः स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेने का कोई औचित्य नहीं है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)